

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर-तारापुर

पत्रांक :- 1872(अनु०) तारापुर
प्रेषक,

दिनांक:- 15/10/2024

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर।
सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :- State Scheme (NABARD) अंतर्गत Khudiya Afzalnagar to Kalyanpur Paswan tola tak path nirman kary पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

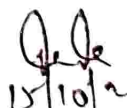
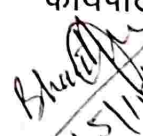
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि State Scheme (NABARD) अंतर्गत Khudiya Afzalnagar to Kalyanpur Paswan tola tak path nirman kary पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार रू०- 2.55293 की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पथों अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


15/10/24
कार्यपालक अभियन्ता,

15/10/24

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण प्रपत्र

[illegible]

1. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. पथ में MQMU/PQM/JE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं हैं।
3. अनुमोदित परिणाम विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक च्युति की राशि से 20% सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिणाम के मंदों की मात्रा का विस्तार का
4. अनुलग्नक - प्रशासनिक च्युति का पत्र अनुमोदित परिणाम विपत्र एवं एकरारनामा की अभिमतिप्राप्ति प्रति।

15/10/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल खड़गपुर-तारापुर

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,
Munger

FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of OCT- 2024

Name of the Head :- NABARD Maint. Fund

Month:- October 2024

SI. No.	Name of Bridge	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	Khudiya Afzalnagar to Kalyanpur Paswan tola tak path nirman kary	138.57 Lacs Lt. No. 1359 dt. 15.05.2020	0.00000	Certified that out of Rs. 0.00 Lacs received during the Maintenance of this road favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 0.00 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.00000 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total -		0.00000	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD. Works.


15/10/24
Divisional Account Officer

RWD Works Division Kharagpur - Tarapur


15/10/24
Executive Engineer

RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक-15/5/2020

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-रा0यो0-03-397/2019-1359

प्रेषक,
राज्य दूध, ग्रा0यो0
अपर सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार, (लेखा एवं हवादासी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103 ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल खडगपुर-तारापुर के अधीन तारापुर प्रखंड के खुदिया अफजलनगर से कल्याणपुर पासवान टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.500 कि०मी० निर्माण हेतु रु० 124.17 लाख अनुसंधान की राशि रु० 14.40 लाख अर्थात् कुल 138.57 लाख रुपये (एक करोड़ अड़तीस लाख सन्तावन हजार रु०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103 ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल खडगपुर-तारापुर के अधीन तारापुर प्रखंड के खुदिया अफजलनगर से कल्याणपुर पासवान टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.500 कि०मी० निर्माण हेतु रु० 124.17 लाख अनुसंधान की राशि रु० 14.40 लाख अर्थात् कुल 138.57 लाख रुपये (एक करोड़ अड़तीस लाख सन्तावन हजार रु०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खडगपुर-तारापुर इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्यय पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103 ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपन्न कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103 ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के बीच तारीख तक ऑनलाईन प्रतिष्ठित कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता 2 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायां।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खडगपुर-तारापुर यह सुनिश्चित करें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का व्यय ग्रा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संविधान संख्या-मु० 397-4 (मु०)-रा०यो०-03-397/2019 के पृ० सं०-03/टि० पर दिनांक 21.11.2019 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संविधान सं०-मु० अ०-4 (मु०) रा०यो०-03-397/2019 के पृ० सं०-05/टि० पर दिनांक-27.11.2019 को प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निवृत्ति की जाएगी।

14/5/2020

G.K

- Scanned by CamScanner